



कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेश), बाड़मेर

क्रमांक : प.19(328)(1) महात्मा गांधी नरेश/2017-18/3545

दिनांक : 23/5/18

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश 2833/2017-18

राज्य सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक : एफ4(5)गुफ-3/एनआरईजी/2005 दिनांक 13.2.2006 के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान की वर्ष 2015-2016 की जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य योजना में से कार्यकारी विभाग/पंचायत समिति गडरारोड की ग्राम पंचायत रेडाना से प्राप्त एवं स्कैन अधिकारी के द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निर्मल्लिखित 1 कार्य हेतु 2.00 लाख अक्षरे दो लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति उनके सम्मुख अंकितअनुसार के आधार पर कार्यकारी अभिकरण को एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। कार्यकारी अभिकरण इस कार्य को मार्गदर्शिका एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार तत्काल प्रारम्भ करवाकर निर्धारित कार्य में अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

पंचायत समिति गडरारोड		कार्यकारी एजेन्सी :- ग्राम पंचायत रेडाना				स्वीकृति (लाखों में)								
क्र.स.	वा.का.यो. क्रमांक	कार्य का नाम	टांका	मेडबन्दी निर्माण कार्य	योग	व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु एरसी/एसटी/बीपीएल क.	ग्राम पंचायत	राजस्थ ग्राम	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	वित्तीय स्वीकृति राशि	कार्य अवधि			
										श्रम	योग			
1	756	टांका निर्माण एवं मेडबन्दी निर्माण कार्य हिमथाराम / पूनमाराम के खेत में	0.96	1.04	2.00	लघु	रेडाना	माझोली	756	13.06.2017	1.20	0.80	2.00	3 माह
											1.20	0.80	2.00	

उपरोक्त समस्त कार्य निर्मल्लिखित शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे :-

- 1 कार्यो के सम्पादन में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में निर्दिष्ट मापदण्डो एवं भारत/सरकार से जारी निर्देशो की पालना की जाये।
- 2 योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो पर मशीनों का प्रयोग प्रतिबन्धित है। अतः कोई भी ऐसा कार्य जो मजदूरों द्वारा सम्पादित किया जा सकता है, उसके लिए मशीन का प्रयोग नहीं किया जावे। अन्यथा सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेवार होगी।
- 3 कार्य तकनीकी स्वीकृति तथा ग्रामीण कार्य निर्देशिका - 2015 के अनुसार किया जावेगा एवं सुनिश्चित करेंगे कि कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 4 कार्यो का क्रियान्वयन किसी भी स्थिति में ठेकेदारों के माध्यम से अनुमत नहीं होगा।
- 5 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसरण में संबंधित पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के उपरांत ही संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को इस कार्य के पेटे मस्ट्रोल, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे। कार्य प्रारम्भ करने का आदेश जारी करने से पूर्व निजी निर्माण कार्यो के लिए जाति एवं बीपीएल वयनित क्रमांक का सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 6 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किसी भी नये कार्य को प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार स्कीम के अन्तर्गत चालू कार्यो पर श्रमिको को समायोजित करने की संभावना नहीं होने व न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों की संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नवीन कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की जावेगी।

र

दिनांक : 23/3/18

क्रमांक : प.19(328)(1) महात्मा गांधी नरेश / 2017-18 / 3545

व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में प्रत्येक कार्य पर सामग्री मद में कुल व्यय का 40 प्रतिशत से अधिक अनुमत नहीं है। लाभार्थी जॉब कार्डधारी एवं परियोजना में कार्यरत होना आवश्यक है।

उक्त श्रेणी के कार्यों में लाभार्थी के परिवार में कोई राज्य कर्मचारी है तो उन्हें उक्त कार्य आरम्भ नहीं करवाया जावे।

40 ग्रेड सडक कार्य जहां खातेदारी नूनि में प्रस्तावित है, कार्य शुरु करने से पूर्व समझौता / सहमति पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सम्पर्ण की कार्यवाही की जावे, यदि कोई विवाद हो तो कार्य शुरु नहीं किया जावे।

क्रमांक : प.19(328)(1) महात्मा गांधी नरेश / 2017-18 / 3546-57

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. माननीय जिला प्रमुख, जिला परिषद, बाड़मेर
2. माननीय सांसद, बाड़मेर-जैसलमेर
3. श्री विधानसभा क्षेत्र,
4. उपखण्ड अधिकारी / ब्लॉक कोडिनेटर पंचायत समिति
5. प्रधान पंचायत समिति गडरारोड
6. कार्यक्रम अधिकारी / विकास अधिकारी पंचायत समिति गडरारोड
7. आईईसी मैनेजर जिला परिषद, गडरारोड
8. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बाड़मेर।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर बाड़मेर

दिनांक : 23/3/18

(सुरेश कुमार दाधीच)
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेश, बाड़मेर